न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र परीक्षण संख्या : 124/2017
सरकार बनाम अमित उर्फ दीपक।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम– अमित उर्फ दीपक पिता का नाम– दिनेश उम्र– 34 वर्ष
पेशा– ड्राईवर निवासी– डासौली थाना–जहाँगीरपुर
जिला– बुलन्दशहर।

प्रश्न सं० 1– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.09.2016 को समय 16:30 बजे स्थान ग्राम अरनियां मौजपुर खुर्जा अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में पुलिस द्वारा आपकी जामा तलाशी में पहने लोअर के दाहिने सुड्डे में लगा हुआ एक अदद अवैध तमन्चा देशी 315 बोर चालू हालत में व पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर अवैध बरामद किये गये, जिन्हें रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था, इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है?
उत्तर– झूठ है।

प्रश्न सं० 2– यह कि आपने पी०डब्लू० 8 साक्षी कां० 754 प्रदीप कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 20.09.2016 को थाना खुर्जा नगर पर ही तैनात था। उस दिन मैने धनन्जय मिश्रा प्रभारी निरीक्षक की फर्द बरामदगी के आधार पर इस मुकदमे की असल चिक धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम बल्लू उर्फ बलवीर मु०अ०सं० 754/2016 तथा अभियुक्त अमित उर्फ दीपक के विरूद्ध 25 आयुध अधिनियम का अभियोग की असल चिक मु०अ०सं० 755/2016 बोल–बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर कां० 487 सैयद अजीज आलम से बोल–बोलकर टाईप करायी थी। मु०अ०सं० 754/2016 की असल चिक **<u>प्रदर्श क–6</u>** तथा मु०अ०सं० 755/2016 की असल चिक पर **<u>प्रदर्श क–7</u>** दोनो असल चिकों पर अन्त में मेरे हस्ताक्षर है। इन दोनो अभियोगों का खुलासा मेरे द्वारा उस समय जी.डी. रपट नं० 46, समय 19:40 बजे अपने लेख हस्ताक्षर में किया था। जी.डी. की कॉपी को फोटोस्टेट कॉपी शामिल की गयी। कागज सं० 6A/10 जो लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे प्रमाणित करता हूँ, जिसे **<u>प्रदर्श क–8</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 3– यह कि आपने पी०डब्लू० 9 साक्षी एस.आई. स्वदेश कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.09.2016 को मैं एस.एच.ओ. धनन्जय मिश्रा के साथ मय हमराह फोर्स सरकारी जीप से साढ़े ग्यारह बजे गश्त चेकिंग रपट नं० 24 से रवाना होकर तलाश माल मुल्जिम में मामूर थे। जब हम खुर्जा जंक्शन के फ्लाईओवर के पूर्वी किनारे पर चेकिंग कर रहे थे। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि डकैती के मुल्जिम मय माल बिना नम्बर की मोटरसाइकिल से गांव मन्सूरपुर से अरनियां के रास्ते खुर्जा जेवर रोड को निकले है। इस सूचना पर विश्वास कर जनता के गवाहों को तलाश किया। लेकिन कोई नहीं मिला तो हम लोग अरनियां गेट पर आस में तलाशी लेकर बबूल के पेड़ की आड़ में खड़े हो गये। कुछ देर बाद अरनियां की तरफ से काली मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें नजदीक आने पर हम पुलिसवालों द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे तो हम पुलिसवालों ने आवश्यक बल प्रयोग कर उन तीन व्यक्तियों को समय साढ़े सोलह बजे मय मोटरसाइकिल के पकड़ लिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– झूठी घटना है। मुझे मेरे घर से पकड़कर थाने लाया गया था।

प्रश्न सं० 4– यह कि पी०डब्लू 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति से नाम पता पूंछने पर व जामातलाशी लेने पर उसने अपना नाम बल्लू उर्फ बलवीर पुत्र भगवन्त निवासी मन्सूरपुर थाना अरनियां बताया, जिसकी जामातलाशी में पहने

लोअर के दाहिने सुड्डे से एक तमंचा 315 बोर तथा बांयी जेब से दो जिन्दा कारतूस 315 बोर मिले तथा सीने की तरफ लटके पिट्ठू बैग से 500–500 के 560 नोट कुल दो लाख अस्सी हजार रुपये तथा एक आधार कार्ड अकरम पुत्र रशीद खान, निवासी 114 मीरपुर तहसील खुर्जा बरामद हुआ तथा पहने लोअर की दाहिनी जेब से दो मोबाइल फोन एम इन्टेक्स काला रंग, दूसरा माइक्रोमेक्स काला रंग बिना सिम के बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अमित उर्फ दीपक पुत्र दिनेश कुमार निवासी धासौली थाना जहाँगीरपुर जिला बुलन्दशहर बताया। जामा तलाशी में हाथ में लिये थैले में से 500–500/– को पाँच सौ सत्तर नोट कुल दो लाख पिच्चासी हजार रूपये और पहनी पेन्ट के दाहिने सुड्डे से एक तमंचा 315 बोर पहनी पेन्ट की दाहिने जेब से दो कारतूस 315 बोर और बांयी जेब से एक मोबाइल फोन इन्टेक्स दो सिम एक एअर टेप बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम शानू उर्फ सोम पुत्र मुनेश निवासी ग्राम मीरपुर थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर बताया। जामातलाशी में पैन्ट की बांयी जेब से 500–500/– के सत्तर नोट कुल 35 हजार रूपये बरामद हुए। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– झूठ है।

प्रश्न सं० 5– यह कि पी०डब्लू 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उक्त तीनो एक साथ बताया कि हम लोगों ने दिनांक 15/16.02.2016 की रात में ग्राम मीरपुर में पशु व्यापारी से लूटे गये रूपये में से हिस्सा लिया था। बरामद असलहे रूपये व तमंचा को अलग–अलग कपड़ों में रखकर सर्वे सील मोहर किया गया। फर्द मौके पर बोल–बोलकर एस.आई. विनोद कुमार से लिखाई थी। जो SI 123/17 में शामिल किया गया। कागज सं० 4A/4 व 5 है। जिस पर हम सब हमराहियान के दस्तख्त है। फर्द की कॉपी अभियुक्तगणों को देकर उसके भी दस्तख्त कराये गये। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। न्यायालय की अनुमति से सर्वे सील मोहर बण्डल प्लास्टिक डिब्बा खोला गया, जिसमें एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस निकले, जिसको गवाह ने देखकर कहा कि यह वही जिन्दा कारतूस है, जो अभियुक्त बल्लू से गिरफ्तारी के समय बरामद हुए थे, जिस पर तमंचा **वस्तु प्रदर्श 15** दो जिन्दा कारतूस 315 बोर पर दोनो जिन्दा कारतूसों पर **वस्तु प्रदर्श 16** व **17** तथा प्लास्टिक डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श–18** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 6– यह कि पी०डब्लू 9 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दूसरे प्लास्टिक सील सर्वे मोहर डिब्बे को खोला गया। एक तमंचा 315 बोर व 2 जिन्दा कारतूस निकले, जिसको गवाह ने देखकर कहा कि ये वही तमंचा व दो जिन्दा कारतूस है जो अभियुक्त अमित उर्फ दीपक से बरामद हुए थे। 315 बोर तमंचा पर **वस्तु प्रदर्श 19** जिन्दा कारतूसों पर **वस्तु प्रदर्श 20** व **21** व प्लास्टिक के डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श 22** डाला गया। एक छोटा प्लास्टिक का डिब्बा सील सर्वे मोहर खोला गया, जिसमें दो मोबाइल काले रंग के एक इन्टेक्स, एक माइक्रोमैक्स निकले जो अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर से बरामद हुए थे। इन्टेक्स मोबाइल पर **वस्तु प्रदर्श 23**, माइक्रोमैक्स पर **वस्तु प्रदर्श 24** व प्लास्टिक के डिब्बे पर **प्रदर्श 25** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– मुझसे कोई बरामदगी नहीं हुई।

प्रश्न सं० 7– यह कि आपने पी०डब्लू० 10 साक्षी एस.आई. विनोद कुमार के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 20.09.2016 को थाना खुर्जा नगर में उपनिरीक्षक के साथ तैनात था। मेरी रवानगी एस.एच.ओ. धनन्जय सिंह के साथ हुई थी। मेरी रवानगी एस.एच.ओ. के साथ वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, तलाश वारन्टी व वांछित व्यक्ति व विवेचना के लिए हुई थी। एस.एच.ओ. साहब के साथ मेरे अलावा एस.आई. सुदेश कुमार व थाने के अन्य हमराही सिपाही थे। जब हम थाने से जेवर खुर्जा रोड पर अरनियां गेट पर पहुँचे फिर चेकिंग करने लगे। मेरी रवानगी एस.एच.ओ. धनन्जय मिश्रा की रवानगी के बाद उनके निर्देशन में हुई, उनके साथ नहीं हुई थी। मैं पहले पहासू रोड पर कालिन्दी कुंज जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुँचा तो वहाँ से सीरस के पेड़ के नीचे बैठे अभियुक्त आरिफ की गिरफ्तारी की गयी। इसकी गिरफ्तारी मुखबिर के बताये अनुसार मेरे द्वारा की गयी थी। आरिफ को मेरे द्वारा 14:00

बजे पर गिरफ्तार किया गया था। इससे चालीस हजार रूपये बरामद हुये थे, जिनमें पाँच–पाँच सौ के नोट थे। उसने बताया था कि हमने ये रूपये अपने साथियों बल्लू उर्फ बलवीर, शानू, अमित उर्फ दीपक व अन्य दो साथियों के साथ जिनके नाम अब मुझे याद नहीं है। बीस लाख रूपये लूटे थे। इनके अलावा सोनू डॉक्टर भी था, के साथ मिलकर गांव मीरपुर के अकरम कुरैशी के लूटे थे। मैं यह रूपये अपने रिश्तेदार को देने के लिये यहाँ आया था। बरामद रूपयों को सील सर्वे मोहर किया गया एवं नमूना मोहर बनाया गया था। सील सर्वे मोहर एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर की गयी थी और मौके पर ही फर्दे मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 8– यह कि पी०डब्लू 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि इस अभियुक्त के मुकदमे में विवेचक द्वारा धारा 412 IPC की वृद्धि की गयी थी। अभियुक्त आरिफ को बाद गिरफ्तारी थाने पर लाकर दाखिल किया गया था। तभी थाना प्रभारी द्वारा मुझे तथा कां० सचिन को खुर्जा जेवर रोज पर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के बारे में बताकर बुलवाया गया था, तब मैं अरनियां गेट खुर्जा जेवर रोड पहुँचा था, जहाँ पर तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिवालों द्वारा की गयी थी, जिसमें अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर, अभियुक्त शानू, तथा अभियुक्त अमित उर्फ दीपक जिनमें अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर के कब्जे से लूटे गये रूपयों में से दो लाख अस्सी हजार नकद, एक तमन्चा 315 बोर, दो कारतूस 315 बोर, दो मोबाइल बरामद हुये थे। दूसरे अभियुक्त अमित उर्फ दीपक के कब्जे से दो लाख पिचासी हजार नकद, एक तमन्चा 315 बोर, दो कारतूस जिन्दा व एक मोबाइल तथा तीसरे अभियुक्त शानू के कब्जे से पैंतीस हजार रूपये नकद बरामद हुए थे। सभी नोट पाँच–पाँच सौ के नोट थे। अभियुक्तगणों ने बताया था कि 15/16 की रात्रि में अकरम कुरैशी पशु व्यापारी से हम लोगों ने बीस लाख रूपयों की लूट की थी और अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया था कि ये जो रूपये बरामद हुये है, ये रूपये जो हमारे हिस्से में आये रूपये हैं। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– सब झूठ है। मेरे द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया और न ही मुझसे कोई बरामदगी हुई।

प्रश्न सं० 9– यह कि पी०डब्लू० 10 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि बरामद मोटरसाइकिल के बारे में अभियुक्तगणों से पूंछने पर कोई कागज नहीं दिखाया था और MV Act की कार्यवाही की गयी थी। पूछने पर अभियुक्तों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इन तीनों अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी मु०अ०सं० 748/2016 में की गयी थी व बरामदगी के आधार पर अलग से विवेचक ने मुकदमे में धारा 412 भा०दं०सं० की वृद्धि की गयी थी तथा बरामद तमन्चों के सम्बन्ध में अलग से मुकदमा पंजीकृत किया था व बरामद माल को अलग–अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में रखकर सील सर्वे मोहर किया गा था। फर्द मौके पर मौजूद सभी गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये थे तथा मौके पर अभियुक्त को फर्द की कॉपी देकर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये थे। साक्षी ने सत्रवाद सं० 123/2017 में मौजूद कागज संख्या 4A/4 जो कि फर्द बरामदगी 315 बोर तमन्चा व गिरफ्तारी तीन नफर अभियुक्तगणों के रूप में है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–9 डाला जा चुका है, की पुश्त पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुये बताया कि इस पर बने हस्ताक्षर मेरे ही है तथा बताया कि यह फर्द मेरे द्वारा ही लिखी गयी है, मेरे हस्तलेख में है। फर्द प्रदर्श क–10 से संबंधित माल पूर्व में खोला जा चुका है और पूर्व में उस माल पर वस्तु प्रदर्श डाले जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 10– यह कि पी०डब्लू 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 18.09.2016 को सी.डी.–3 अभियुक्तगणों के सम्भावित स्थानों पर दबिश का विवरण अंकित है तथा अभियुक्त सोनू उर्फ गौरव उर्फ डॉक्टर के बैंक खाता नम्बर की डिटेल लेने हेतु SBI कॉलेज रोड कस्बा सिरोली जिला बरेली के शाखा प्रबंधक को पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 20.09.2016 को जी.डी. 24 समय 11:30 बजे मय हमराही पुलिसवाले मैं विवेचक उक्त मुकदमे की विवेचना में रवाना होकर खुर्जा जंक्शन रोड पर खुर्जा जंक्शन के फ्लाई ओवर के पूर्व

की तरफ खुर्जा जेवर रोड पर मौजूद था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 16.09.2016 को रात्रि दो बजे ग्राम मीरपुर में अकरम के साथ हुयी बीस लाख रूपये की लूट में शामिल अभियुक्तगण बल्लू उर्फ बलवीर, अमित उर्फ दीपक, सोनू उर्फ शानू पल्सर मोटरसाइकिल से मंसूरपुर से अरनियां होते हुये खुर्जा जेवर रोड की तरफ आने वाले हैं। जनता का गवाह लेने का प्रयास किया गया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मौजूद पुलिस बल व तलविदा उपनिरीक्षक विनोद कुमार को साथ लेकर अरनियां गेट के पास पहुँचा, गाड़ी सरकारी बबूल के पेड़ की आड़ में खड़ी करवा दी तथा हम लोगो ने आपस में एक दूसरे की तलाशी ली गयी। किसी के पास कोई वस्तु जुर्म से संबंधित नहीं थी। थोड़ी देर में पल्सर बाइक को तीन व्यक्ति आते हुये खुर्जा जेवर रोड की तरफ दिखायी दिये, जिनको पास आने पर नियमानुसार रूकने का इशारा किया गया था, तो उक्त लोगों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। मौजूद पुलिस बल के सहयोग से आवश्यक बल प्रयोग करके उक्त तीनो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को समय करीब 16:30 बजे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– सब झूठ है। मुझे घर से पुलिस द्वारा पकड़ा गया है।

प्रश्न सं० 11– यह कि पी०डब्लू 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि नियमानुसार उक्त लोगों से नाम पता पूछते हुये क्रमशः जामातलाशी ली गयी थी, मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम बल्लू उर्फ बलवीर बताया। उसके पहने लोवर के दाहिने सुड्डे से एक अदद तमन्चा 315 बोर हुलिया फर्द अनुसार तथा बांयी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा सीने की तरफ लटके पिट्ठू बैग में पांच–पांच सौ रूपये पांच सौ साठ नोट कुल 2,80,000/– रूपये तथा एक आधार कार्ड अकरम पुत्र रसीद तथा पहने हुये लोवर के दाहिनी जेब से दो अदद मोबाइल इनटेक्स जिनका विवरण फर्द में अंकित है, बिना सिम बरामद हुये। मोटरसाइकिल पर बीच में बैठे व्यक्ति से पूंछने पर उसने अपना नाम अमित उर्फ दीपक बताया, जामातलाशी में दाहिने हाथ में थैले में पांच–पांच के पांच सौ सत्तर नोट 2,85,000/– रूपये तथा दाहिने सुड्डे में एक अदद तमन्चा 315 बोर चालू हालात में था, जिसका विवरण फर्द में अंकित है, बरामद हुये थे तथा पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा व पहने पैन्ट की बांयी जेब से एक अदद मोबाइल इन्टेक्स जिसका विवरण फर्द में अंकित है तथा आइडिया का सिम जिसका विवरण भी फर्द में अंकित है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– झूठ है।

प्रश्न सं० 12– यह कि पी०डब्लू 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि मूल फर्द सत्रवाद सं० 123/17 में कागज सं० 4A/4 लगायात 4A/5 पर मौजूद है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह फर्द मेरे द्वारा बोल–बोलकर एस.आई. विनोद कुमार से लिखवायी गयी थी, यह फर्द एस.आई. विनोद कुमार के लेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस पर मूल फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क–9 डाला जा चुका है तथा फर्द से संबंधित माल पूर्व में न्यायालय में खोला जा चुका है, जिन पर प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श डाले जा चुके हैं। उसी दिन एस.आई. विनोद कुमार द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ की गिरफ्तारी की फर्द की नकल संलग्न सी.डी. की गयी। क्रमशः गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण आरिफ, शानू, बलवीर उर्फ बल्लू व अमित उर्फ दीपक के बयान क्रमशः अंकित किये गये। इनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया। दिनांक 22.09.2016 को अभियुक्त सोनू उर्फ गौरव गिरफ्तारी न होने की वजह से तलाश में सिरोली जनपद बरेली में अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई तथा अन्य गवाहों एस.आई. विनोद कुमार, कां० मनोज कुमार, कां० सूरज वर्मा के बयान सी.डी. में अंकित किये गये तथा एस.आई. विनोद कुमार की निशानदेही पर अभियुक्त आरिफ की गिरफ्तारी से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गयी। साक्षी ने सत्रवाद सं० 674/2016 में मौजूद का०सं० 7A जो कि नक्शा गिरफ्तारी अभियुक्त आरिफ व बरामद नकदी चालीस हजार रूपये संबंधित मु०अ०सं० 748/2016 के रूप में है, को देखकर करहा कि यह नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर जाकर एस.आई. विनोद कुमार की निशानदेही पर तैयार की गई थी, यह मेरे हस्तलेख में है, इस पर **<u>प्रदर्श क–12</u>** डाला गया। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर– मेरे बयान झूठे अंकित किये गये है। अन्य कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 13– यह कि पी०डब्लू 11 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि तत्पश्चात् मैं, रवाना होकर जंक्शन रोड पर अरनियां गेट पर आया। मेरे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण शानू उर्फ सोनू, बल्लू उर्फ बलवीर व अमित उर्फ दीपक के गिरफ्तारी व बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की गई। साक्षी ने सत्र वाद सं० 674/2016 में मौजूद का०सं० 7A/3 जो कि नक्शा नजरी, गिरफ्तारीस्थल अभियुक्तगण व बरामदगी माल मगरूता व नाजायज असलाह, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संबंधित मु०अ०सं० 748/2016 के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर जाकर तैयाक की गयी थी, यह मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **<u>प्रदर्श क–13</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 14– यह कि आपने पी०डब्लू० 12 साक्षी रिटायर निरीक्षक कमलेश प्रसाद शुक्ला के बयान सुने जिन्होंने अपने साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.09.2016 को थाना खुर्जा नगर में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। मुझे उसी दिन थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 754/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम बल्लू उर्फ बलवीर व मु०अ०सं० 755/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अमित उर्फ दीपक की विवेचना प्राप्त कर अवलोकन का विवरण सी.डी. में अंकित किया और उसी दिन थाना हाजा पर मौजूद कां०क्लर्क प्रदीप कुमार के बयान अंकित सी.डी. में किये गये और हवालात में मौजूद दोनों अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर व अमित उर्फ दीपक के बयान सी.डी. में अंकित किये गये, जिसमें दोनों अभियुक्तों ने अपने जुर्म को स्वीकार किया। दिनांक 22.09.2016 को पर्चा–IInd किता किया गया, जिसमें बयान वादी, प्रभारी निरीक्षक धनन्जय मिश्रा, एस.आई. विनोद कुमार, कां० सचिन कुमार, कां० वीरेन्द्र सिंह, कां० दुष्यंत त्यागी, कां० वसीम के बयान सी.डी. में अंकित किये। इन सभी गवाहों ने घटना व फर्द का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर– मेरा फर्जी बयान अंकित किया गया।

प्रश्न सं० 15– यह कि पी०डब्लू 12 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उसी दिन एस.आई. स्वदेश कुमार को साथ ले जाकर घटनास्थल पर पहुँचा और उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर ही घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षी ने सत्रवाद संख्या 123/2017 में मौजूद का०सं० 7A/1 जो कि मु०अ०सं० 754/2016 की नक्शा नजरी बनाम बल्लू उर्फ बलवीर के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर मैने अपने हस्तलेख में तैयार की थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। इसी घटना से संबंधित दूसरे मु०अ०सं० 755/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अमित उर्फ दीपक, जिसकी पत्रावली इस सत्रवाद के साथ आज न्यायालय में सत्रवाद सं० 124/2017 में मौजूद मूल नक्शा नजरी पेपर सं० 7A/1 प्रदर्श क–15 से मि लान कर इस सत्रवाद सं० 124/2017 में मौजूद पेपर सं० 7A/1 की नक्शा नजरी जो कि मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **<u>प्रदर्श क–16</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 16– यह कि पी०डब्लू 12 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उसी दिन मेरे द्वारा घटनास्थल पर मौजूद समई साक्षी पीतम व राकेश के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। दिनांक 03.10.2016 को बयान गवाह फर्द कां० भगवती प्रसाद केस डायरी में अंकित किये गये व अभियोजन स्वीकृति हेतु दोनों अभियोगों की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। दिनांक 30.10.2016 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22.10.2016 अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन कर विवरण सी.डी. में अंकित किया। साक्षी ने सत्रवाद सं० 123/2017 में मौजूद का०सं० 10A/1 जो कि अभियोजन स्वीकृति सं० 262/न्याय–अन०–अभी–स्वी० (25)/2016 दिनांक 22.10.2016 के रूप में है, को देखकर कहा कि यही अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर के विरूद्ध 25 आयुध अधिनियम में

अभियोग चलाने के संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह द्वारा दी गयी थी और मुझे प्राप्त हुई थी। इस पर **<u>प्रदर्श क–17</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 17– यह कि पी०डब्लू 12 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उसी दिन दिनांक 30.10.2016 को मु०अ०सं० 755/2016 प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन कर विवरण केस डायरी में अंकित किया। साक्षी ने सत्रवाद सं० 124/2017 में मौजूद का०सं० 10A/1 जो कि अभियोजन स्वीकृति सं० 263/न्याय–अन०–अभी–स्वी–(25)/2016 दिनांक 22.10.2016 के रूप में मौजूद है, को देखकर कहा कि यह अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त अमित उर्फ दीपक के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियोग चलाने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार द्वारा मुझे दी गयी थी। इस पर तत्कालीन डी.एम. अन्जनेय कुमार के हस्ताक्षर मौजूद है, इस पर **<u>प्रदर्श क–18</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 18– यह कि पी०डब्लू 12 द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि अब तक की विवेचना में फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी अभियुक्तगण, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अभियोजन स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर व अमित उर्फ दीपक के विरूद्ध क्रमशः आरोप पत्र सं० 540/2016, 541/2016 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में दोनों अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.10.2016 को प्रेषित किये गये। साक्षी ने सत्रवाद सं० 123/2017 में मौजूद का०सं० 3A/1 लगायत 3A/2 जो कि मु०अ०सं० 754/2016 के कम्प्यूट्रीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा अभियुक्त बल्लू उर्फ बलवीर के विरूद्ध प्रेषित किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है, इस पर **<u>प्रदर्श क–19</u>** डाला गया। साक्षी ने सत्रवाद सं० 124/2017 में मौजूद कागज सं० 3A/1 लगायत 3A/2 जो कि मु०अ०सं० 755/2016 के कम्प्यूट्रीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ दीपक के विरूद्ध प्रेषित किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **<u>प्रदर्श क–20</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?
उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 19– आपके विरूद्ध मुकदमा किसने दर्ज कराया और क्यों ?
उत्तर– मुकदमा वादी द्वारा अज्ञात में दर्ज कराया गया तथा पुलिस द्वारा मुझे फर्जी फंसाया गया।

प्रश्न सं० 20– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य देना चाहते हैं ?
उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न सं० 21– क्या घटना के संबंध में आपको कुछ और कहना है?
उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 20.12.2025

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.12.20 16:31:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court